



45

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

सिंग-2961-II-16

गोविन्द सिंह पुत्र श्री मोहनलाल निवासी
ग्राम सेजी तहसील शादौरा जिला
अशोक नगर म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला
अशोक नगर म.प्र.

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर म.प्र. द्वारा
प्रकरण क्रमांक 39/ निगरानी/ 2010- 11 में पारित
आदेश दिनांक 05.06.2012 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

प्रार्थी / आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, ग्राम सेजी तहसील शादौरा स्थित सर्वे नं. 37, 38, 39, 40 एवं 41 मिन नम्बरान के कुल रकवा 6 बीघा भूमि पर विगत 30 वर्षों से काबिज होकर आवेदक का कब्जा चला आ रहा है इस भूमि पर आवेदक का मकान बना हुआ है एवं निवास कर रहा है।
2. यहकि, तहसीलदार परगना शादौरा जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69अ/ 68/ 09-10 एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 1अ68/ 2010-11 द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2009 दोनो प्रकरण संलग्न किये जाकर आदेश पारित किया गया था। तहसीलदार द्वारा आवेदक को बेदखली सूचना पत्र दिनांक 28.08.2010 को भेजा । अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2901-एक/2016 जिला-अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 39/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05/06/12 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u></p>	